शीर्ष प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या- 06/2020/भा0-30/38-4-2020-14(विविध)/2016 टी0सी0-1

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 **लखनऊः दिनांकः 27 नवम्बर,2020**

विषयः-प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवास साफ्ट में अपलोड किये गये लाभार्थियों के अस्पष्ट फोटोग्राफ्स के स्थान पर नये एवं स्पष्ट फोटोग्राफ्स अपलोड करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अपर सचिव एवं महानिदेशक (एन.आर.आई.डी.ए), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली के अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-जे-11014/01/2016-आरएच, दिनांक- 04.11.2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों एवं जीओ-टैग किये गये लाभार्थियों के फोटोग्राफ्स की समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ मामलों में लाभार्थियों की तस्वीरें अस्पष्ट एवं भ्रमित करने वाली हैं तथा कुछ अन्य मामलों में निर्मित/पूर्ण आवासों की फोटोग्राफ्स में लाभार्थी के स्थान पर अलग-अलग व्यक्तियों की फोटोग्राफ्स अपलोड की गयी हैं, जिसके कारण योजना की पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित किये जाने हेतु समय-समय पर सुस्पष्ट निर्देश निर्गत किये गये हैं।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत अधिक पारदर्शिता लाने हेतु योजना के प्रत्येक चरण में आवास साफ्ट पर अपलोड की गयी लाभार्थियों के फोटोग्राफ्स की पुनः जांच कराते हुए जिन लाभार्थियों की फोटाग्राफ्स अस्पष्ट हैं उन लाभार्थियों के निर्मित आवासों के सम्मुख लाभार्थी को खड़ा करके नये एवं स्पष्ट फोटाग्राफ खींच कर आवास साफ्ट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 06 /2020/ भा0-30 (1)/38-4-2020, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः- ।

1- अपर सचिव एवं महानिदेशक (एनआरआईडीए), ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली को उनके अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-**J-11014/01/2016-RH,** दिनांक 04.11.2020 के क्रम में प्रेषित।

2- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को भारत सरकार के पत्र दिनांक 04.11.2020 की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार के उपर्युक्त संदर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- गार्ड फाइल।

सुधीन्द्र कुमार
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।